

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26,अरेरा हिल्स,किसान भवन,भोपाल

क०/बोर्ड/निर्माण/ए.एम.आई./ई.एस.ए.एम./18-19/619

भोपाल,दिनांक ०१/०४/२०१९

प्रति,

- ✓ (1) संयुक्त संचालक/उप संचालक
म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय
- ✓ (2) कार्यपालन यंत्री,
म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
तकनीकी संभाग..... (समस्त)

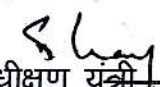
विषय:- एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना की सहायक योजना "इन्टीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग" के तहत सप्लीमेन्ट्री कार्य योजना तैयार करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, कि ए.एम.आई.की सहायक परियोजना "ई.एस.ए.एम." के तहत मंडी/उपमंडी प्रांगणों में अधोसंरचनाओं के निर्माण के प्रस्ताव प्रेषित किए जा रहे हैं। भारत सरकार की योजना के तहत मंडी प्रांगणों में निम्नानुसार कार्य आवश्यकता होने पर योजना में शामिल किये जाकर सप्लीमेन्ट्री कार्य योजना प्रेषित की जा सकेंगी।

- 1.वे-ब्रिज-लागत राशि रु० 12.00 लाख 50 मी.टन.क्षमता।
- 2.राईपनिंग चेम्बर- लागत राशि रु० 1.00 लाख प्रति मी.टन।
- 3.मिनी कोल्ड स्टोरेज- लागत राशि रु० 1.10 लाख प्रति मी.टन।
- 4.पैक हाउस लागत राशि रु० 50.00 लाख से 01.00 करोड़ -10 मी.टन से 50 मी.टन।

उपरोक्तानुसार कार्यों को परियोजना में शामिल किये जाने बावत् विस्तृत संक्षेपिका, आवश्यकता का आधार, वित्तीय व्यवस्था, विगत तीन वर्षों की आवक/आय, मंडी निधि पत्रक, एवं मंडी समिति का प्रस्ताव 08.04.19 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। मंडी निधि उपलब्ध न होने की स्थिति में बोर्ड निधि से भी उपरोक्तानुसार सुविधायें निर्मित कराई जा सकेंगी। समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जावें।

(कार्यवाही प्रबंध संचालक महोदय द्वारा आदेशित)

/ 
अधीक्षण यंत्री

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क0/बोर्ड/निर्माण/ए.एम.आई./ई.एस.ए.एम.18-19/620

भोपाल,दिनांक 01/04/2019

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1.सचिव कृषि उपज मंडी समिति.....(समस्त)

अधीक्षण यंत्रा 115

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल